दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1879

(1879 का अधिनियम संख्यांक 17)

[29 अक्तूबर, 1879]

**दक्खन के कतिपय भागों में ऋणी कृषकों
की राहत के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यत: दक्खन के कतिपय भागों में कृषक वर्गों को ऋणिता से मुक्त करना समीचीन है,

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1]दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1879 है, और यह 1879 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

स्थानीय विस्तार—[2][इस धारा तथा] धारा 11, 56, 60 और 62 का विस्तार [3][उन राज्यक्षेत्रों] [4][को छोड़कर,] [3][जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट थे], [4][सम्पूर्ण भारत] पर होगा ।

इस अधिनियम के शेष भाग का विस्तार [5]केवल पूना, सतारा, शोलापुर और अहमदनगर जिलों पर होगा, [6][किन्तु [7]*** राज्य सरकार द्वारा इसे सम्पूर्णत: या भागत: किसी अन्य जिले या जिलों के [8][उन राज्यक्षेत्रों पर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व मुम्बई राज्य में समाविष्ट थे]] [9][या ऐसे अन्य जिले या जिलों के किसी भाग या किन्हीं भागों] पर विस्तारित किया जा सकेगा ।

* * * * *

11. कृषकों पर वहां वाद लाया जाना जहां वे निवासी हैं—धारा 3 के खण्ड (ब)[10] में वर्णित प्रकार का हर वाद उस दशा में जिसमें कि प्रतिवादी, या वहां, जहां कि कई प्रतिवादी हैं और उन प्रतिवादियों में से केवल एक कृषक है, उस न्यायालय में संस्थित और विस्तारित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा प्रतिवादी निवास करता है, अन्यत्र नहीं ।

ऐसे हर वाद को, जिसमें कई प्रतिवादी हैं, जो कृषक हैं, ऐसे न्यायालय में संस्थित और विचारित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे प्रतिवादियों में से कोई प्रतिवादी निवास करता है, अन्यत्र नहीं ।

इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से सिविल प्रक्रिया संहिता[11] की धारा 22 से लेकर धारा 25 पर (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं आती है) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

---

[1] 1879 का अधिनियम सं० 17, 1881 का अधिनियम सं० 23 और 1882 का अधिनियम सं० 22 सामूहिक रूप से 1879 से 1882 तक के दक्खन कृषक राहत अधिनियमों के रूप में उद्धृत किए जा सकेंगे—देखिए दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1882 (1882 का 22) की धारा 1(1) । 1879 से 1882 तक के अधिनियम और 1886 का अधिनियम सं० 23 सामूहिक रूप से 1879 से 1886 तक के दक्खन कृषक राहत अधिनियमों के रूप में उद्धृत किए जा सकेंगे—देखिए दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1886 (1886 का 23) की धारा 1(1) । 1879 से 1886 तक के अधिनियम और 1895 का अधिनियम सं० 6 सामूहिक रूप से 1879 से 1895 तक के दक्खन कृषक राहत अधिनियमों के रूप में उद्धृत किए जा सकेंगे—देखिए दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1895 (1895 का 6) की धारा 1(1) । 1879 से 1895 तक के अधिनियम और 1902 का मुम्बई अधिनियम सं० 1 सामूहिक रूप से 1879 से 1902 तक के दक्खन कृषक राहत अधिनियमों के रूप में उद्धृत किए जा सकेंगे—देखिए दक्खन कृषक राहत अधिनियम, 1902 (1902 का मुम्बई 1) की धारा 1(1) ।

[2] 1881 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) अंत:स्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के सभी प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] मुम्बई राज्य में अधिनियम का निरसन बाम्बे एग्रीकल्चरल डेटर्स रिलीफ ऐक्ट, 1947 (1947 का मुम्बई अधिनियम सं० 28) की यथा संशोधित धारा 56 द्वारा 27 मई, 1950 से किया गया । अत: केवल उस राज्य को लागू भाग उद्धृत नहीं किया गया ।

[6] 1886 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित किए गए ।

[8] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "मुम्बई राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1895 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[10] नीचे उद्धृत है :—

"(ब) वादी पर अभिकथित शोध्य धन की वसूली के लिए वाद—
प्रतिवादी को उधार दिए गए या अग्रिम संदाय किए गए या संदत्त धन मद्दे, या बेची गई वस्तुओं के मूल्य के रूप में ; या
वादी और प्रतिवादी के बीच किसी लेखा पर ; या
इसमें इससे पूर्व उपबंधित न किए गए धन के संदाय के लिए किसी लिखित या अभिलिखित वचनबंध पर ।" ।

[11] अब 1908 का अधिनियम सं० 5 देखिए ।

* * * * *

56. कृषकों द्वारा निष्पादित लिखतों को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, जब तक उन्हें ग्राम रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित नहीं किया गया हो—ऐसी लिखत को जिसकी बाबत यह तात्पर्यित है कि वह धनराशि के चुकाने की बाध्यता या किसी सम्पत्ति पर भार सृष्ट, उपान्तरित, अन्तरित, साक्ष्यित या निर्वापित करती है अथवा वह हस्तांतरणपत्र या पट्टा है, और जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसके लिए किसी ग्राम रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई गई है, निवास करने वाले कृषक द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् निष्पादित की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है, किसी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में तब के सिवाय ग्रहण नहीं की जाएगी, और ऐसे किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी द्वारा उसके आधार पर कोई कार्यवाही तब के सिवाय नहीं की जाएगी जब कि ऐसी लिखत किसी ग्राम रजिस्ट्रार द्वारा या उसके अधीक्षण में लिखी गई है और उस रजिस्ट्रार द्वारा अनुप्रमाणित की गई है :

परन्तु इसमें की किसी बात से किसी दाण्डिक कार्यवाही में ऐसी लिखत का गृहीत किया जाना निवारित नहीं होगा [1][या वह ऐसी लिखत को, जिसे किसी कृषक द्वारा केवल एक प्रतिभू के रूप में निष्पादित किया गया है,] [2][या ऐसी किसी लिखत को जिसकी बाबत [3]इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 (1877 का 3) की धारा 17 द्वारा यह अपेक्षित है कि वह उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाए,] लागू नहीं होगी ।

* * * * *

60. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समतुल्य समझा जाएगा—पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसरण में निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत हर लिखत [3]इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 (1877 का 3) के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी ; और ऐसी लिखत को जो ग्राम रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित होनी चाहिए थी किन्तु अन्यथा निष्पादित हुई है, उक्त अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा या किसी लोक कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा या न उसे किसी लोक अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा ।

* * * * *

62. ऐसी लिखतों को छूट जिनमें सरकार या सरकार का कोई अधिकारी पक्षकार है—इस अधिनियम की किसी बात से ऐसी लिखत के बारे में, जिसमें सरकार या सरकार का कोई अधिकारी अपनी शासकीय हैसियत में पक्षकार है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसका ग्राम रजिस्ट्रार[4] के समक्ष निष्पादित होना अपेक्षित है ।

* * * * *

———

[1] 1881 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1886 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] अब भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) देखिए ।

[4] 1910 के मुम्बई अधिनियम सं० 1 द्वारा अंत:स्थापित "या कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐक्ट, 1904 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी" शब्द 1912 के मुम्बई अधिनियम सं० 1 द्वारा निरसित किए गए ।